कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांकः181/जे0डी0/फा0स0/लखनऊ–17(गौतम0)/257. दिनांकः सितम्बर 30 2017,

सेवा मे,

महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजन)
ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण,
जनपद–गौतमयुद्धनगर।

विषयः **मैसर्स निराला इन्फ्राटेक प्रा0लि0 द्वारा प्लाट न0 जी0एच0–04 सेक्टर टेकजोन–04, ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन के निर्माण हेतु मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

सन्दर्भः यूआईडी:2017/35777/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/7464/जे0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर आवासीय भवनों के निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर से किया गया है।

उक्त प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रो का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक–03 ग्रेटर नौएडा श्री शेषनाथ यादव से कराया गया तो उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या दिनांकः 27–09–2017 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर श्री अरूण कुमार सिंह को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या दिनांकः 27–09–2017 उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र श्री अमन शर्मा को उपलब्ध करायी गयी तथा उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र द्वारा अभिलेखो का परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या पत्रावली सहित अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीशीलन अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया जिसका विवरण निम्नवत हैः–

**भवन की संरचनाः–** कुल प्लाट एरिया–99991.400 वर्ग मी0 है, जिसमे प्रस्तावित टावरों का फ्लोरवाईज एरिया विवरण निम्नवत हैः–

| कमांक | नाम टावर | तलों की संख्या | भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0। | टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0। | ऊँचाई मी0। |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | टावर–19 | बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल एवं 24 तल | 421.618 | 362.008 | 76..44 |
| 02 | टावर–20 | बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल एवं 24 तल | 421.618 | 382.008 | 76..44 |
| 03 | टावर–21 | बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल एवं 24 तल | 622.731 | 527.893 | 76..44 |
| 04 | टावर–22 | बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल एवं 24 तल | 421.618 | 362.008 | 76..44 |
| 05 | टावर–23 | बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल एवं 23 तल | 1292.685 | 664.454 | 73.39 |
| 06 | टावर–24 | बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल एवं 23 तल | 1292.685 | 664.454 | 73.39 |
| 07 | टावर–25 | बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल एवं 24 तल | 421.618 | 362.008 | 76..44 |
| 08 | टावर–26 | बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल एवं 24 तल | 622.731 | 527.893 | 76..44 |
| 09 | टावर–27 | बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल एवं 24 तल | 358.491 | 304.210 | 76..44 |
| 10 | टावर–28 | बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल एवं 24 तल | 358.491 | 304.210 | 76..44 |
| 11 | टावर–29 | बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल एवं 24 तल | 358.491 | 304.210 | 76..44 |
| 12 | टावर–30 | बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल एवं 24 तल | 368.491 | 304.210 | 76..44 |
| 13 | टावर–31 | बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल एव 24 तल | 622.731 | 527.893 | 76..44 |
| 14 | टावर–32 | बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल एवं 24 तल | 421.618 | 362.008 | 76..44 |
| 15 | टावर–33 | बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल एवं 23 तल | 779.365 | 664.454 | 73.39 |
| 16 | टावर–34 | बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल एवं 23 तल | 779.365 | 664.454 | 73.39 |
| 17 | टावर–35 | बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल एवं 24 तल | 421.618 | 362.008 | 76..44 |
| 18 | टावर–36 | बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल एवं 24 तल | 622.731 | 527.893 | 76..44 |
| 19 | टावर–37 | बेसमेन्ट, स्टिल्ट/भूतल एवं 24 तल | 421.618 | 362.008 | 76..44 |
| 20 | नर्सरी स्कूल | भूतल | 1451.166 | – | 03.50 |
| 21 | नर्सिंग होम | भूतल | 1499.242 | – | 03.50 |
| 22 | **बेसमेन्टः**–प्रश्नगत भवन में सिंगल बेसमेन्ट जिसका कवर्ड एरिया–39,352.673 वर्ग मी0 है। तथा बेसमेन्ट की छत अग्निशमन वाहनों की भार | | | | |

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ

| | |
|---|---|
| | क्षमता हेतु 75 टन भार वहन क्षमता की बनायी जानी अनिवार्य होगी। |

**भवन का अधिभोग विवरणः–** प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी–2016 आवसीय भवन श्रेणी ए0–04) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

**ढंचागत व्यवस्थाः–**

**1-पहुँच मार्गः–**भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड की चौडाई 24 मी0 मानको के अनुसार अंकित की गई है तथा दूसरी तरफ भी रोड है जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है तथा प्रवेश द्वार जिनकी चौडाई एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

**2-सैटबेकः–** प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत हैः–

ए0–अग्रभाग–16.00 मी0।

बी0–पृष्ठ भाग–12.00 मी0।

सी0–पार्श्व भाग प्रथम–12.00 मी0।

डी0–पार्श्व भाग द्वितीय–12.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा तथा टावरो के चारो ओर 06–06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

**3-निकास मार्गः–**प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर मे 02 अदद स्टेयरकेस जिनकी चौडाई 01.50 व 01.25 मी0 प्रस्तावित है, जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

**4-रिफ्यूज एरियाः–** भवन मे रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है, जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

**घ-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः–** प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0 2016 के अनुसार निम्नांकित वांच्छनीय अग्निशमन व्यवस्थाऐं कराया जाना प्राविधानित है।

**1-होजरील/डाउनकामरः–**प्रस्तावित भवन मे प्रत्येक टावर मे प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व, गय होज बाक्स, होज पाइप, एवं ब्रान्च पाइप का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।

**2-भूमिगतः–**प्रश्नगत भवन मे 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार इस फेज मे प्राविधानित है, तथा एक दूसरे फेज मे निर्मित है।

**3-पम्पसः–** भूमिगत टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 02 अदद जौकी पम्प 180 एल0पी0एम0 क्षमता के मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने प्राविधानित है।

**4-टैरिस टैंकः–**प्रत्येक टावर की प्रत्येक टैरिस पर टैरिस टैंक क्षमता 10,000 दस हजार ली0, स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

**5-वेटराईजरः–** प्रस्तावित भवन मे वेटराइजर एन0बी0सी0 एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई0एस0–3844 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

**6-यार्ड हाईड्रेण्टसः–** प्रस्तावित भवन मे रिंग लाइन तथा उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

**7-आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टमः–** सम्पूर्ण भवनों मे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

**8-आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टमः–** प्रश्नगत भवन मे सम्पूर्ण तलो पर ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

**9-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः–** सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

**10-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):–** प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0– 2190 के अनुसार वॉच्छनीय है।

**11-स्मोक एक्स्ट्रेंक्शनः–** प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे नेचुरल वेन्टीलेशन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

**12-एग्जिट साईनेजः–** सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

**13-पी0ए0 सिस्टमः–** सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

**14-कम्पार्टमेन्टेशनः–** प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे कम्पार्टमेन्टेशन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

**15-प्रेशराईजेशनः–** प्रश्नगत भवन मे आवश्यक स्थानों पर प्रेशराईजेशन एनबी0सी0 मानक के अनुसार किया जायेगा।

**16**–प्रश्नगत भवन मे इमरजेन्सी/स्केप लाईटिंग एन0बी0सी0 मे उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।

**17**–भवन मे निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एन0बी0सी0 मे उल्लेखित मानको का पालन अनिवार्य होगा।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, [illegible]
उ0प्र0 लखनऊ

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टॉफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन मे फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वॉच्छनीय होगी यदि किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार आख्याओं के आधार पर प्रश्नगत भवन मैसर्स निराला इन्फ्राटेक प्रा0लि0 द्वारा प्लाट न0–जी0एच0–04 सेक्टर–टेकजोन–4, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2016 एवं तत्समय पृवत्त किसी अन्य विधि मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

**संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र।**

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस,
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपिः 1–उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ की फायर सर्विस की वेबसाइट पर अपलोड कर तथा आवेदक को सम्बन्धित प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3–अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक–03 ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

4 मैसर्स निराला इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 द्वारा प्लाट न0–जी0एच0–04 सेक्टर–टेकजोन–4, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उक्त के सन्दर्भ मे अनुपालनार्थ।